न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 185–एक / 13 निग0 957–दो / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–01–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 143 / 11–12 / अपील

————

निगरानी 185–एक / 12

अशोक कुमार पुत्र नाथूराम
निवासी ग्राम बराठा जिला झांसी हाल निवासी
ग्राम प्यावल तहसील भाण्डेर जिला दतिया ———— आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री हरीहर शर्मा पत्नी लक्ष्मी चन्द पटेरिया,
निवासी पटेल नगर उरई जिला जालौन उ.प्र. ———— अनावेदक

निगरानी 957–दो / 13

श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री विश्वनाथ पत्नी लक्ष्मी चन्द पटेरिया,
निवासी – ग्राम प्यावल, तहसील भाण्डेर जिला–दतिया
हाल निवासी पटेल नगर उरई जिला जालौन उ.प्र. ———— आवेदक

विरूद्ध

अशोक कुमार पुत्र नाथूराम
निवासी ग्राम बराठा जिला झांसी हाल निवासी
ग्राम प्यावल तहसील भाण्डेर जिला दतिया ———— अनावेदक

————

श्री रामसेवक शर्मा, अधिवक्ता आवेदक की ओर से
(प्र.क. निग. 185–दो / 13 में एवं अनावेदक की ओर से निग. 957–दो / 13) में
श्री आर.डी. शर्मा, अधिवक्ता आवेदक की ओर से
(प्र.क. निग. 957–दो / 13 में एवं अनावेदक की ओर से निग. 185–दो / 13) में

:: आदेश ::
(आज दिनांक 11-09-14 को पारित)

————

ये दोनों निगरानियां अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 143 / 11–12 / अपील में पारित आदेश दिनांक 09–01–13 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हे कि तहसील न्यायालय भाण्डेर द्वारा प्र.क. 3/090–10/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 17.09.10 के द्वारा ग्राम प्यावल की भूमियों पर भूमिस्वामी शांतिबाई के फौत होने पर वसीयत के आधार पर अशोक कुमार के हक में नामांतरण के आदेश दिये गये । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील की जो उन्होंने अस्वीकार की । जिसके विरूद्ध लक्ष्मीदेवी आवेदक/अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये एवं अपील आंशिक रूप से स्वीकार की । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अस्वीकार किये जाने पर इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3/ आवेदक/अनावेदक अशोक कुमार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किये बिना महज कल्पना के आधार पर आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त ने इस बिंदु पर भी विचार नहीं किया कि लक्ष्मीदेवी विश्वनाथ की पुत्री न होते हुए हरीहर शर्मा की पुत्री है जोकि शांतिदेवी की वारिस नहीं है । अपर आयुक्त ने इस बिंदु को भी अनदेखा किया है कि प्रश्नाधीन संपत्ति की मालिक शांतिदेवी व उनके पति विश्वनाथ है । उन दोनों के द्वारा आवेदक अशोक कुमार के पक्ष में पंजीकृत वसीयत संपादित की गई है ।

4/ आवेदक/अनावेदिका लक्ष्मीदेवी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश विधिवत है जिसमें केवल आवेदिका के नामांतरण की आज्ञा प्रदान किए जाने के अलावा हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने से यही आश निकलता है कि आवेदक के नाम नाांतरण किया जाये किंतु आदेश में इस आशय की आज्ञा प्रदान किया जाना रह गया है । उक्त आधार पर आवेदिका के नाम नाांतरण किए जाने की सीमा तक अपर आयुक्त के आदेश को संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में अशोक कुमार द्वारा वसीयत के आधार पर तथा लक्ष्मीदेवी द्वारा वारिसाना आधार पर नामांतरण की मांग की गई है । अपर आयुक्त के आदेश का सूक्ष्म अवलोकन करने से यह आशय निकलता है कि उन्होंने उभयपक्ष के मध्य

व्यवहार वाद प्रचलित है इसलिए उन्होंने व्यवहार वाद के अंतिम निराकरण तक कार्यवाही स्थगित रखना उचित माना है उक्त आधार पर ही उन्होंने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त किया गया है । न्यायदृष्टांत 1987 सी.सी.एल.जे. नोट 65 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि –

" भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 110 – विवादास्पद भूमि – स्वत्वाधिकार घोषणा के लिए सिविल वाद विचाराधीन – उचित प्रकिया यह है कि राजस्व न्यायालय की कार्यवाही सिविल वाद के निराकरण तक प्रास्थगित की जाये । "

इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1976 आर0एन0 116 में राजस्व मंडल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

" भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 109 तथा 110 सिविल वाद लंबित राजस्व न्यायालय को व्यवहार न्यायालय के निर्णय तक रूकना चाहिए । "

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों तथा इस वैधानिक बिंदु को देखते हुए कि स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा तथा राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा, के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ये दोनों निगरानियां निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर